FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

88

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1571-I-15 /2015 पुनरीक्षण

श्री आर० के० अग्रवाल, अभि० द्वारा आज दि. 16-6-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हरकी बाई पत्नी रामदयाल कुर्मी
निवासी ग्राम--विक्रमपुर
तहसील राजनगर, जिला--छतरपुर

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रमेश पुत्र रामदयाल शर्मा
निवासी ग्राम--पिपट हाल निवासी ग्राम
कुसमा तहसील--रघुराज नगर
जिला--छत्तरपुर

अपर कलेक्टर जिला--छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/अ--19 (4)/स्व.निग./05--06 में पारित आदेश दिनांक 26--03--2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है--

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 14--09--2004 को भूमि सर्वे क्रमांक--1799 क्रय की थी क्रय करने के तत्काल पश्चात आवेदक का नामांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया क्रय करने के दिनांक से आवेदक का निरन्तर आधिपत्य उक्त भूमि पर चला आ रहा है नामांतरण के पश्चात आवेदक को भू--अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदान की गयी थी जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रहीं है.

3. यह कि, आवेदक को सूचना एवं सुनवायी का कोई अवसर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रदान नहीं किया गया आवेदक जो की अभिलिखित भूमि स्वामी है के हितो के विरूद्ध पारीत किया गया विवादित आदेश अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

16.6.15
A. K. Agrawal Ad

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
महाधिवक्ता, ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... निग. 1571 I 15 .... जिला .... छतरपुर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-16	1— आवदक के अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2—मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 100 / अ—19(4) / स्व.निग. / 2005—06 मे पारित आदेश दिनांक 26 / 03 / 2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम पिपट की भूमि सर्वे नं0 1799 रकवा 0.999 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत रमेश वल्द रामदयाल शर्मा को प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। पट्टेदार का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा था। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमाँक 04 / अ—19(4) / 2003—04 आदेश दिनांक 08 / 01 / 2004 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 11 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत	

R 1571.3/15 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैद्य नहीं माना जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन एवं आवेदिका के नाम राजस्व रिकार्ड यथावत करते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2004 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। तथा आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के उपरांत भी उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/03/2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/01/2004 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदिका हरकीबाई का नाम पूर्वतः दर्ज हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य